अतिआवश्यक
तत्काल
समय-सीमा

कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक 3173 / प्र.अ. / विधि / लो.स्वा.यां.वि. / 2024 भोपाल, दिनांक 02/04/2024

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   परिक्षेत्र भोपाल / (वि. / यां.) भोपाल /
   इंदौर / जबलपुर / ग्वालियर
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   मंडल................................
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   खंड...................................

विषयः— दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थायी वर्गीकरण के आदेशों के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थायी वर्गीकरण के दिनांक से वर्तमान तक की संपूर्ण एरियर राशि देने के आदेश वाले न्यायालयीन प्रकरणों में तत्काल रिव्यू पिटीशन दायर करने विषयक।

संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 13300 / प्र.अ. / विधि / लो.स्वा.यां.वि. / 2023 भोपाल, दिनांक 27.09.2023

—0—

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से स्थायी वर्गीकृत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा, स्थायी वर्गीकरण के दिनांक से वर्तमान तक की एरियर राशि प्राप्त करने हेतू दायर किये जाने वाले न्यायालयीन प्रकरणों में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत पारित निर्णयों को आपको संसूचित करते हुये निर्देशित किया गया था कि इन निर्णयों को माननीय न्यायालय के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावे। इन सभी निर्णयों में यह अभिनिर्धारण किया गया है कि वादी कर्मचारी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण दायर करने की दिनांक से अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक की ही एरियर राशि की पात्रता आती है।

विभाग के संज्ञान में ग्वालियर एवं जबलपुर परिक्षेत्र से संबंधित इस प्रकृति के ऐसे प्रकरण भी आये हैं जिनमें समुचित प्रतिरक्षण नही हो पाने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी वर्गीकरण के दिनांक से वर्तमान समय तक की अथवा विनियमितीकरण योजना दिनांक 01.10.16 तक की सम्पूर्ण एरियर राशि प्रदान करने के आदेश दिये गये है।

कृपया ध्यान दें कि इस प्रकृति के किसी भी निर्णय को अनावश्यक रूप से पेंडिंग ना रखा जावे तथा ऐसे निर्णय को तत्काल ही, विभाग के पास उपलब्ध निर्णयों के आधार पर संशोधित करवाने का प्रयास करें। इस संबंध में यदि आवश्यक हो तो कार्यालय की विधि शाखा से भी परामर्श प्राप्त किया जा सकता है।

इस प्रकृति के सभी प्रकरणों में आपको तत्काल रिव्यू पिटीशन दायर करने हेतु निर्देशित किया जाता है। **इस प्रकृति के एक प्रकरण "गंगा प्रसाद दुबे" में तैयार किया गया रिव्यू पिटीशन का ड्राफ्ट भी आपको विभागीय बेवसाइट पर "विधिक मार्गदर्शन" शीर्षक के अंतर्गत क्र.–7 पर उपलब्ध कराया गया है।** आप शासकीय अधिवक्ता को उक्त नमूना ड्राफ्ट उपलब्ध कराकर तत्काल अपने से संबंधित प्रकरण में रिव्यू पिटीशन तैयार करवा कर दायर करने की कार्यवाही करें।

किसी भी स्थिति में भविष्य में इस प्रकृति के प्रकरणों में संपूर्ण एरियर राशि की स्वीकृति इस कार्यालय द्वारा प्रदान नही की जावेगी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1.4.2014

प्रमुख अभियंता